



# कार्यालय नगर निगम ग्रेटर जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर 302015)



क्रमांक : -एफ- ( ) कार्मिक/ननिग्रेज/2021/ 233

दिनांक :- 09-07-2021

समस्त उपायुक्तगण,  
नगर निगम ग्रेटर जयपुर ।

**विषय:-** वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F.5(TH-75)DTA/IFMS/P-1-17 Dated :- 17.06.2021 के अनुसार नवीन वेतन प्रक्रिया में वेतन बिलों के आटो प्रोसेस करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आदेशित किया जाता है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक F.5(TH-75)DTA/IFMS/P-1-17 Dated :- 17.06.2021 के अनुसार नवीन वेतन प्रक्रिया में अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन बिलों के ऑटो जनरेशन एण्ड प्रोसेस के लिये नगर निगम ग्रेटर जयपुर मुख्यालय/जोन कार्यालय के समस्त संस्थापन लिपिक नवीन वेतन प्रक्रिया में निम्न बिंदु अनुसार तत्काल कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

1. उपरोक्त नवीन वेतन प्रक्रिया के अनुसरण में नवीन आदेशानुसार वेतन बनाने में जो उपस्थिति हर माह 15 तारीख तक की ली जाती थी वह इस माह से पिछले माह की 30 तारीख तक की उपस्थिति लेकर वेतन बनाया जायेगा।
2. नवीन वेतन प्रक्रिया के अनुसार समस्त संस्थापन लिपिक ई-गर्वनेन्स सेल से अगले माह के वेतन के लिये चेक लिस्ट हर माह की 24 से 25 तारीख के बीच में प्राप्त कर ले।
3. वेतन से संबंधित जो भी संशोधन हो उन्हें वेतन माह की 5 तारीख तक ई-गर्वनेन्स सेल में दे दिये जाये 5 तारीख के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन ओसवाल कम्प्यूटर एण्ड कसन्लटेंट प्राईवेट लिमिटेड द्वारा नहीं लिया जायेगा।
4. ई-गर्वनेन्स सेल द्वारा 5 तारीख तक प्राप्त होने वाले सभी संशोधन को 10 तारीख तक सिस्टम पर करना सुनिश्चित किया जावे।
5. ई-गर्वनेन्स सेल डी.डी. ओ. के मोबाईल से ओ.टी.पी. प्राप्त कर सभी संशोधन करेगा। इस हेतु डी.डी.ओ. द्वारा एक मोबाईल मय सिम ओसवाल कम्प्यूटर एण्ड कसन्लटेंट प्राईवेट लिमिटेड को उपलब्ध करवाया जायेगा।
6. सभी संस्थापन लिपिक संशोधन ( संलग्न प्रपत्र-1, 2 व 3 ) में उपायुक्त के हस्ताक्षर करवाकर 5 तारीख तक ई-गर्वनेन्स सेल को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे।
7. ई-गर्वनेन्स सेल ( संलग्न प्रपत्र-1, 2 व 3 ) में ही संशोधन प्राप्त करे।
8. वित्त विभाग के आदेश के एनेक्सचर बी के पाईट 8 के अनुसार विभागाध्यक्ष की ओर से इस प्रक्रिया पारित बिलों की समीक्षा द्वारा भुगतान की शुद्धता जाँची जायेगी। इस पोस्ट आडिट का यह कार्य वरिष्ठ लेखाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

अतः समस्त उपायुक्त एवं संस्थापन लिपिकों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करे। एवं जुलाई माह का वेतन बिल 30 जून तक की उपस्थिति के अनुसार संधारण किया जाये, जुलाई माह के वेतन में लगने वाली वेतन वृद्धि नियमानुसार दिनांक 10.07.2021 तक वेतन में लगाकर वेतन संधारण किया जाये। जुलाई माह के वेतन बिल के सभी संशोधन ई-गर्वनेन्स सेल में 12.07.2021 तक दे दिये जाये। ई-गर्वनेन्स सेल सभी संशोधन 14.07.2021 तक करना सुनिश्चित करे।

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)

IAS

आयुक्त

नगर निगम ग्रेटर जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ है :-

1. निजी सहायक, महापौर महोदय, /उप महापौर महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर ।
2. निजी सहायक, आयुक्त /अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम ग्रेटर जयपुर ।
3. वित्तीय सलाहकार , नगर निगम ग्रेटर जयपुर ।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी , नगर निगम ग्रेटर जयपुर ।
5. प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर ।
6. समस्त संस्थापन लिपिक, कार्मिक शाखा एवं जोन कार्यालय।
7. ओसवाल कम्प्यूटर एण्ड कंसल्टेंट प्राईवेट लिमिटेड, नगर निगम ग्रेटर जयपुर ।
8. गार्ड फाईल ।



(ममता नागर )  
उपायुक्त (कार्मिक)  
नगर निगम ग्रेटर जयपुर

Nagar Nigam Greater Jaipur

Zone :-

Leave Format (प्रपत्र-1)

Salary Month

Lot No.	Employee No.	Name	Designation	LWP Days	PL Days	CL Days

हस्ताक्षर उपायुक्त

हस्ताक्षर संस्थापन लिपिक



## Nagar Nigam Greater Jaipur

Zone :-

Salary Changes (प्रपत्र-3)

Salary Month

Lot No.	Employee No.	Name	Designation	Bank Changes/Salary Stop	Remark

नोट :- बैंक का खाता अगर बदलना है तो बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी एवं उपायुक्त के द्वारा जारी सहमति पत्र लगाए यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन रोकना है तो उपायुक्त के आदेश की प्रति संलग्न करें।

हस्ताक्षर उपायुक्त

हस्ताक्षर संस्थापन लिपिक